संख्या–1798/चौवालिस-1/1989

प्रेषक,

श्री शिरोमणि शर्मा,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/नोयडा
एवं बीडा के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1

लखनऊः दिनांकः 23 नवम्बर, 1989

विषयः– राज्य के सार्वजनिक उद्यमों के अधिकारियों/कर्मचारियों के आवेदन पत्रों का निस्तारण, विदेश में आयोजित प्रशिक्षण, सेमीनार विचार गोष्ठी सम्मेलनों, सिम्पोजियम स्कालरशिप/फेलोशिप आदि में भाग लेने के लिए अधिकारियों के नामांकन एवं विदेश यात्रा की अनुमति।

महोदय,

शासन के संज्ञान में ऐसे मामले आये हैं कि कभी–कभी देश/विदेश में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सार्वजनिक उद्यमों/निगमों के अधिकारियों को शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में ही नामांकित कर दिया जाता है तथा कतिपय मामलों में नामांकन के अतिरिक्त फीस इत्यादि के रूप में शासकीय धनराशि का व्यय भी वहन कर लिया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को देश/विदेश में प्रशिक्षण हेतु रूपान्तर (Sponser) न किया जाय और न ही कोई व्यय शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में वहन किया जाय। उपरोक्त निदेशों का अनुपालन न होने की दशा में इसका पूर्ण दायित्व प्रबन्ध निदेशक का माना जायेगा।

3- कृपया विदेश प्रशिक्षण/विदेश यात्रा की अनुमति से सम्बन्धित मामलों में शासनादेश संख्या–551/44-1/86, दिनांक 15 सितम्बर, 1986 द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार ही आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह०/शिरोमणि शर्मा,
मुख्य सचिव।

संख्या–1798 (1)/चौवालिस–1/89, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) सार्वजनिक उद्यमों/निगमों से सम्बन्धित शासन के प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव।
(2) सचिव, मुख्य मंत्री, को उनके अर्द्ध० शा०प०सं०–2402/सी०एम०–1/1989 दिनांक 24 अक्टूबर, 1989 के सन्दर्भ में।
(3) सार्वजनिक उद्यमों/निगमों से सम्बन्धित सचिवालय के समस्त अनुभाग
(4) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
ह०/आर रमणी,
सचिव।